

प्रेषक

निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास,
हरियाणा राज्य में।
क्रमांक 11162-81/सी.डी.-3/डब्ल्यू सी.डी./2026
दिनांक 21/04/26


विषय

आंगनवाडी हैल्पर से वर्कर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही को प्राथमिकता देते हुए आंगनवाडी वर्कर/हैल्पर के समायोजन एवं आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर की भर्ती की कार्यवाही अमल में लाने बारे।

आप द्वारा आंगनवाडी सहायिका से आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति खण्ड स्तर पर की जानी है या फिर जिला स्तर पर व 50 प्रतिशत कोटा कब से लेना है-जैसे कि लम्बे समय से नियुक्ति/पदोन्नति नहीं हुई है। इसलिए वैकेंसी कब से काउंट की जानी है तथा पदोन्नति करने की आयु सीमा बारे मार्गें गए मार्गदर्शन के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि आंगनवाडी सहायिका से आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति खण्ड स्तर पर वर्तमान में आंगनवाडी वर्कर के रिक्त पदों के 50 प्रतिशत कोटे के आधार पर की जानी है। इसके अतिरिक्त विभागीय हिदायत दिनांक 18.07.2025 के द्वारा आंगनवाडी सहायिका से आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित आयु सीमा समाप्त करते हुए विभागीय हिदायत दिनांक 16.08.2011 को रद्द कर दिया गया है। अतः आंगनवाडी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा 60 वर्ष (सेवानिवृत्त की आयु) तक मान्य होगी।

इसके अतिरिक्त दिनांक 10.04.2026 को माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए विचार विमर्श अनुसार आंगनवाडी हैल्पर से वर्कर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 30.04.2026 तक व समायोजन दिनांक 31.05.2026 तक तथा आंगनवाडी वर्कर व हैल्पर के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही दिनांक 30.06.2026 तक करना सुनिश्चित करें।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त हिदायतों से अवगत करवाते हुए हिदायतों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें।



संयुक्त निदेशक आई०सी०डी०एस०,
कृते: निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।